ए.11018/41/2021–एम.एच.2/एन.सी.डी.–1

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

एनसीडी–1

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांकः .... जनवरी, 2023

जन–सूचना

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा. सं. एबी 14017/61/2008 स्था. (आार आर) के अनुपालन में अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई में अनुदेशक (चमड़ा प्रौद्योगिकी) पद हेतु भर्ती नियम का प्रारूप सर्वसाधारण के सूचनार्थ इसके साथ संलग्न है।

2. प्रारूप भर्ती नियमों पर कोई आपत्ति /टिप्पणी करने या सुझाव देने के इच्छुक स्टेकहोल्डर, जन–सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदन अपने सुझाव अवर सचिव (एन.सी.डी–I.) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के कमरा नं. 753 'ए' विंग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड नई दिल्ली.110108 को लिखित रूप में या इस ई–मेल पते baidyanath.prasad@nic.in पर भेज सकते है।

(बैद्यनाथ प्रसाद)

अवर सचिव, भारत सरकार

टेलीफोन नं0 011–2306 1510

[भारतकेराजपत्र,भाग-II, खंड-3, उपखण्ड (i)में प्रकाशनार्थ]

स्वास्थ्यऔरपरिवारकल्याणमंत्रालय

नईदिल्ली, तारीख: ,2023

अधिसूचना

सा.का.नि. .... -राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्साएवंपुनर्वास संस्थान,मुम्बई मेंअनुदेशक (चमड़ा प्रौद्योगिकी) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं,नामत:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -(i) इन नियमों का संक्षिप्त नामस्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्साएवंपुनर्वास संस्थान, मुम्बई,अनुदेशक (चमड़ा प्रौद्योगिकी) (समूह 'ग'पद)भर्ती नियम, 2023 है ।

   (ii) ये राजपत्र में उनकेप्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण औरउससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध उक्तअनुसूची के स्तंभ(2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि-भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ(13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता- वह व्यक्ति-

   (i) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;या

   (ii) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए,किसी व्यक्ति से विवाह किया हैया विवाह की संविदा की है;

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

   परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह,उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति -जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके,इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग केव्यक्तियोंकी बाबत,आदेश द्वाराशिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति -इन नियमों की कोई बातऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वालों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वालों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
अनुदेशक (चमड़ा प्रौद्योगिकी)	01*(एक) (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग,' अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रुपये)	अचयन	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ।	प्रोन्नति: अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुम्बई में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 में ऐसे कनिष्ठ तकनीशियन (चमड़ा प्रौद्योगिकी) जिन्होंने उस श्रेणी में 8 वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण:जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	विभागीय पुष्टि समितिपुष्टि पर विचार करने के लिए 1. अपर निदेशक- अध्यक्ष; 2. उपनिदेशक (पुनर्वास) - सदस्य; 3. प्रोफेसर (पी एम आर)- सदस्य; 4. प्रोफेसर (पी एवं ओ)- सदस्य।	लागू नहीं होता ।

ए.11018/41/2021-एमएच-II

(बैद्यनाथ प्रसाद)

अवर सचिव, भारत सरकार